स्त्री अस्मिता का प्रश्न और 'शृंखला की कड़ियाँ'

–सितारे हिन्द

छायावाद को भारतीय राष्ट्रीय जागरण की साहित्यिक अभियक्ति माना जाता है। वैज्ञानिक सोच तथा तर्क की प्रधानता नवजागरण के केंद्र में है। वैचारिक रूप से यह समय पुरानी मान्यताओं तथा रूढ़ियों के अतिक्रमण का समय है। जाहिर है कि सदियों से गुलाम स्त्रियों तथा दलितों के सवाल भी नवजागरण के केंद्र में होंगे और हैं भी। दलितों की तुलना में स्त्री–मुक्ति का प्रश्न काफी मुखर रहा। कमोबेश विश्व के लगभग देशों में स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं रही है। अपने स्वाभिमान, गरिमा और अस्मिता कि रक्षा हेतु काफी जद्दोजहद करने के बाद भी इनकी अस्मिता को विभिन्न तरीकों से न सिर्फ कुचला गया है, बल्कि कुचला जा रहा है।

मेरा यह शोध–पत्र स्त्री अस्मिता को कुचलने वाली विचारधारा से लड़ती–भिड़ती और प्रश्न खड़ा करती महादेवी वर्मा की पुस्तक 'शृंखला की कड़ियाँ' पर आधारित है। हम सब इस बात से परिचित हैं कि संसार में नारीवादी आंदोलन की सैद्धांतिक किताबों में सिमोन द बोउआर की कृति 'The Second Sex' को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। लेकिन आपको यह जानकार ताज्जुब होगा कि 1949 ई. में प्रकाशित सिमोन द बोउआर की कृति 'The Second Sex' से वर्षों पूर्व (1942 ई.) महादेवी वर्मा, 'स्त्री विमर्श' की सैद्धांतिकी के तौर पर 'शृंखला की कड़ियाँ' पुस्तक लिख चुकी थीं। इसके अधिकांश लेख तो और भी पहले लिखे जा चुके थे। 'शृंखला की कड़ियाँ' स्त्री पराधीनता की एक ऐसी गाथा है, जिसमें साफगोई से दीखता है कि मनुष्य का सामाजिक जीवन, परिवार, संतान तथा तमाम प्रगति के पीछे स्त्रियों का महात्याग तथा आत्मसर्ग की भावना छुपी हुई है। जिसे कोई नोटिस तक नहीं लेता।

महादेवी वर्मा मानती हैं कि स्त्री कोई मनोविनोद की वस्तु नहीं है। अगर कोई व्यक्ति स्त्री–सौन्दर्य पर ही रीझता है तो वह उसे सिर्फ वस्तु मात्र समझता है। वो कहती हैं "संध्या के रंगीन बादल या इंद्रधनुष के रंग हमें क्षणभर विस्मय–विमुग्ध कर सकते हैं, किन्तु इससे अधिक उनकी कोई सार्थकता हो सकती है, यह हम सोचना भी नहीं चाहते। आज की सुंदर नारी भी पुरुष के निकट और कोई विशेष महत्व नहीं रखती। स्त्री यदि रंगीन खिलौने के समान आकर्षक है तो वह विस्मय–विमुग्ध हो उठेगा, यदि नहीं तो वह उसे उपेक्षा की वस्तु मात्र समझेगा। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि दोनों ही स्थितियाँ स्त्री के लिए अपमानजनक हैं।"[1] महादेवी वर्मा स्त्रियों के व्यक्तित्व (Personality)विकास की बात बार–बार करती हैं। ये भौतिकवादी मूल्यों के समर्थक स्त्री तथा पुरुषों का विरोध बार–बार करती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि भौतिकवादी मूल्यों के समर्थन करने वाले लोगों की खुशी, हैसियत तथा भौतिकवादी सुख पर आश्रित होती है। अगर उन्हें यह नहीं उपलब्ध होता है तो वो इसकी तलाश करते हैं। यहाँ आपसी संबंध, सुख तथा समृद्धि पर आश्रित है; न कि प्यार, संवेदना या सहानुभूति पर। हैसियत तथा समृद्धि खत्म होते ही आपसी संबंध टूट जाते हैं। यहाँ एक खतरा यह है कि व्यक्ति का शरीर, सुंदर देह या मौन आकर्षण एक मूर्त संपत्ति माना जाता है, जिसे खरीदा या बेचा जा सकता है। दुर्भाग्यवश आज महिलाएँ जीवन में सकारात्मक परिणाम पाने के लिए अपने यौन आकर्षण को पूँजी के रूप में मानती हैं। सामान्यतया एक सुंदर शरीर का अधिक मूल्य होगा। 'Materialism, Self-Objectification, and Capitalization of Sexual Attractiveness Increase Young Chinese Women's Willingness to Consider Cosmetic Surgery ' शीर्षक से लिखे एक शोध आलेख में बताया गया है कि वैश्विक स्तर पर आज की महिलाएँ अपने को सुंदर से सुंदर रूप में बाजार के सामने पड़ोसना चाहती हैं।[2] महादेवी वर्मा ने इसी ओर इशारा किया था।

सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्रों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व न के बराबर रहा है। यह सवाल जितना महत्वपूर्ण आजादीपूर्व था उतना ही महत्वपूर्ण आज भी है। 'द हिन्दू' की एक रिपोर्ट के अनुसार "2019 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का प्रदर्शन अब तक के इतिहास में 14.39% के साथ सर्वश्रेष्ठ रहा है। इसके बावजूद प्रतिनिधित्व के मामले में भारत की स्थिति 140 देशों से भी बदतर है। महिला सांसदों की हिस्सेदारी का वैश्विक औसत 24.6% है।"[3] इससे नुकसान यह है कि संसद में महिलाओं से जुड़ी समस्याओं पर कानून बनाना मुश्किल हो जाता है। उसपर बहस तक नहीं होती। राजनीति तथा नेतृत्व में महिलाओं की कम उपस्थिति के निम्न कारण हो सकते हैं–

- लैंगिक रूढ़िवादिता महिलाओं को नेतृत्व से पीछे धकेलती है। अच्छे नेतृत्वकर्ता का गुण माना जाता है कि वो Confident हो, वो Aggressive हो, वो Assertive हो, वो Self-assured हो तथा वो Risk-taking हो। लेकिन समाज में ये सभी पुरुषवादी व्यवहार(Masculine behaviour)माने जाते हैं। अगर कोई औरत ये पुरुषवादी व्यवहार करती हैं तो समाज की सोच उस औरत के प्रति नकारात्मक होती है।
- असुरक्षा की भावना के कारण भी महिलाएँ राजनीति तथा नेतृत्व के लिए जाने में हिचकती हैं। व्यावहारिक रूप में भारतीय समाज पितृसत्तात्मक है जिसके कारण सामाजिक नैतिकता और संपत्ति पर पुरुषों का नियंत्रण है अतः महिलाओं के प्रति होंने वाले अपराध के अधिकतर मामले या तो दबा दिए जाते हैं या फिर अपराधी को मामूली सजा मिलती है। इससे महिलाओं में असुरक्षा की भावना बढ़ती है। इसके कारण भी राजनीति तथा नेतृत्व से वो अपने कदम पीछे खींचती हैं।
- देखा जाए तो भारतीय समाज में पारिवारिक जिम्मेदारियों का असमान वितरण है। घरेलू कार्य का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा महिलाओं के जिम्मे ही रहता है। इसके अलावा

गर्भावस्था तथा प्रसव के अतिरिक्त बच्चों की देखभाल तथा उनकी सुरक्षा का कार्य स्त्रियों की जिम्मेदारी ही होती है। संतान के लालन–पालन को स्त्रियों का 'कर्तव्य' माना गया है। जो स्त्रियाँ ऐसा नहीं करतीं उन्हें कर्तव्यहीन कहा जाता है। अतः स्त्रियों का जीवन परिवार के अंदर ही उलझकर रह जाता है। महादेवी वर्मा लिखती हैं "जिस प्रकार सीधा पौधा कालांतर में असंख्य शाखा–प्रशाखाओं तथा जड़ों के फैलाव से जटिल और दुरूह हो जाता है, उसी प्रकार हमारा जीवन असंख्य कर्तव्यों तथा संबंधों का केंद्र हो कर पहले जैसा सरल नहीं रह सका है।"[4] राजनीति तथा नेतृत्व में स्त्रियों की न्यून भागीदारी की एक वजह यह भी मानी जा सकती है।

- माना जाता है कि सभ्यता की शुरुआत में ही पुरुषों ने सामाजिक सत्ता पर अधिकार कर लिया। चूँकि श्रम भौतिक मूल्यों के उत्पादन में विशेष योगदान देता है और प्राकृतिक रूप से पुरुष इसमें बीस पड़ते हैं इस कारण भौतिक चीजों पर पुरुषों का नियंत्रण होता चला गया। घर के बाहर के कार्य(खेती, व्यापार तथा अन्य कार्य) के मुकाबले गृह कार्य को गौण मानकर तथा इसे नैतिक जिम्मेवारी से जोड़ने के कारण धीरे–धीरे भौतिक संसाधनों तथा सामाजिक समर्थनों पर पुरुषों का अधिकार होता चला गया। इसकी वजह से स्त्रियाँ आर्थिक रूप से कमजोर पड़ती गईं। राजनीति तथा नेतृत्व में संसाधन तथा समर्थन दोनों की आवश्यकता होती है, जिसमें पुरुषों के मुकाबले स्त्रियाँ कमजोर पड़तीं हैं। अतः इसे भी राजनीति तथा नेतृत्व में स्त्रियों की काम भागीदारी का एक मुख्य कारण माना जा सकता है।

महादेवी वर्मा ने स्त्रियों की सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए उनके प्रतिनिधित्व पर बल दिया है। वे मानती हैं कि अगर किसी भी नागरिक से उसके राजनीतिक अधिकार छीन लें तो उसकी स्थिति मूक पशु की तरह हो जाती है। उनका कथन है –"अनेक संबंधों का केंद्र होने

तथा परिवार और समाज विशेष से संबद्ध रहने के कारण उसे सामाजिक विकास के लिए भी विशेष अधिकार और उत्तरदायित्व प्राप्त हो जाना अनिवार्य है। अतः नागरिक को राजनीति तथा सामाजिक दोनों क्षेत्रों में समान रूप से अपना स्थान तथा कर्त्तव्य जान लेना और उसमें संशोधन या परिवर्तन के लिए स्वाधीनता प्राप्त कर लेना नितांत आवश्यक है। नागरिक होने के कारण स्त्री को भी इन दोनों ही अधिकारों की आवश्यकता सदा से रही है और रहेगी।"[5] महादेवी वर्मा एक जगह और लिखती हैं– "शासन व्यवस्था में भी उन्हें उचित स्थान न मिलने से आधा नागरिक समाज प्रतिनिधिहीन रह जाएगा; कारण अपने स्वत्वों के रूप में तथा आवश्यकताओं से स्त्रियाँ जितनी परिचित हो सकती हैं उतने पुरुष नहीं। परंतु स्थान मिलने का अर्थ यह नहीं कि उन्हें केवल पुरुष–परिषदों को अलंकृत करने के लिए रखा जाय। वास्तव में उनका पर्याप्त संख्या में रहकर अपनी अन्य बहिनों के हित–अनहित विषयक अस्पष्ट विचारों को स्पष्ट करना और उन्हें क्रियात्मक रूप–रेखा देना ही समाज के लिए हितकर सिद्ध हो सकेगा।"[6]

ऐतिहासिक रूप से नारीवाद कई मोड़ों को पार करता हुआ आगे बढ़ रहा है। वर्ष 1960 के आसपास 'उग्र नारीवाद'(Radical Feminism)का स्वर काफी मुखर था। दूरदर्शी लेखिका महादेवी वर्मा को शायद इसका आभास पहले ही था। ये अपने लेखन में किसी भी तरह के वैचारिक कट्टरपन का विरोध करती हैं। क्योंकि इससे मूल मुद्दे के भटकने का खतरा रहता है। वो चाहती थीं कि महिला के स्वत्व का मुद्दा भटके नहीं इसीलिए उन्होंने लिखा है कि "हमें न किसी पर जय चाहिए, न किसी से पराजय; न किसी पर प्रभुता चाहिए, न किसी का प्रभुत्व। केवल अपना वह स्थान, वे स्वत्व चाहिए जिनका पुरुषों के निकट कोई उपयोग नहीं है, परंतु जिनके बिना हम समाज का उपयोगी अंग बन नहीं सकेंगी।"[7]

कहा जाता है कि पुरुष युद्ध करते हैं लेकिन परिणाम महिलाएँ भुगतती हैं। युद्ध के दर्द, इससे ऊपजे अकेलापन तथा विस्थापन की सर्वाधिक शिकार महिलाएँ ही होती हैं। इनकी

बनी–बनाई जीवन शैली ध्वस्त हो जाती है और इन्हें पुनः इसका निर्माण करना पड़ता है। अतः महिलाएँ जीवन में स्थिरता तथा शांति चाहतीं हैं। महादेवी वर्मा ने 'श्रृंखला की कड़ियाँ' पुस्तक में संकलित अपने निबंध 'युद्ध और नारी' में इसपर पर्याप्त चर्चा की है। वो लिखती हैं–

"वास्तव में वह(महिलाएँ)पुरुष के दृष्टिकोण से युद्ध को देख ही नहीं सकती। कुछ स्वभाव के कारण और कुछ बाहर के संघर्ष में रहने के कारण पुरुष गृह में उतना अनुरक्त नहीं हो सका जितनी स्त्री हो गई थी। उसके(पुरुष) लिए गृह का उजड़ जाना एक सुख के साधन का बिगड़ जाना हो सकता है, परंतु स्त्री के लिए वही जीवन का उजड़ जाना है।..... युद्ध गृह के लिए प्रलय है; इसी से संभवतः वह उससे विमुख रही है। युद्ध के लिए वीरों को जाता देखकर पुरुष सोचेगा, देश का कितना गुरु महत्व इनके सम्मुख है और स्त्री सोचेगी, कितने आर्तनाद से पूर्ण घर इनके पीछे हैं। एक कहेगा यह जा रहे हैं, क्योंकि इनका देश है ; दूसरा कहेगा यह जा रहे हैं, पर इनके स्नेहमयी पत्नी और बालक हैं।"[8] महादेवी वर्मा का मानना है कि युद्ध से जीवन भर की संचित संस्कृति नष्ट हो जाती है। स्त्री का स्वभाव संस्कृति संजोने का होता है, मनुष्यता की रक्षा करने का होता है लेकिन पुरुष उसके इस स्वभाव का उपहास उड़ाते हुए कहता है कि "तुम्हारी युद्ध विमुखता के मूल में तुम्हारी दुर्बलता है। तुममें शक्ति नहीं, इसी से यह कोरी भावुकता प्रश्रय पाती है। तुम्हारा आत्म–निवेदन तुम्हारी ही रमणीयता प्रकट करता है, अतः यह लज्जा का कारण है, गर्व का नहीं।"[9] इसी कारण आपत्तिकाल में कई बार नारी ने अस्त्र धरण कर सृष्टा की जगह संहारक का कार्य किया है लेकिन यह सत्य है कि युद्ध स्त्रियों की मनोवृत्ति के अनुकूल नहीं है।

महादेवी वर्मा ने हिन्दू समाज की विधवा महिलाओं की समस्या पर भी लेखनी चलाई है। भारत में विधवाओं की स्थिति शुरुआत से ही बहुत खराब है। सती प्रथा बंद होंने के पश्चात भी भारतीय समाज में ऐसी बहुत सी रूढ़ियाँ व्याप्त हैं जिसके द्वारा विधवाओं का शोषण होता है तथा उनपर अत्याचार किए जाते हैं। अगर कोई महिला विधवा हो जाती है तो इसमें

उसका क्या कसूर है? लेकिन इसके लिए उसे जीवन भर प्रताड़ित किया जाता है। महादेवी लिखती हैं "यदि दुर्भाग्य से स्त्री के मस्तक का सिंदूर धूल गया तब तो उसके लिए संसार ही नष्ट हो गया। यह ऐसा अपराध है जिसे कारण उसे मृत्यु–दण्ड से भी भीषणतर दण्ड भोगते हुए तिल–तिल घुलकर जीवन के शेष, युग न जाने वाले क्षण व्यतीत करने होते हैं।"[10]अब जबकि सती प्रथा नहीं है तथा 1856 में ही ब्रिटिश सरकार के द्वारा विधवा पुनर्विवाह को मान्यता दे दी गई।*("Under the East India Company rule, this act was enacted on 26 july 1858 which legalized remarriage of Hindu widows in all jurisdictions.")*[11]बाद में Hindu Succession Act, 1956 के तहत विधवाओं को संपत्ति का अधिकार भी दे दिया गया। इसके बावजूद समाज की उन धारणाओं को बदलने की जरूरत है जिससे विधवाएँ सामाजिक रूप से प्रताड़ित होती हैं। विधवाओं के प्रति स्वस्थ रवैये की जरूरत उनके परिवार वालों से भी है और उस समाज से भी जहाँ वो रहतीं हैं।

महादेवी वर्मा ने 'स्त्री–शिक्षा' पर भी अपनी लेखनी चलाई है। चूँकि स्त्री, परिवार की रीढ़ होती है और इनका सीधा संबंध बच्चों तथा पारिवारिक स्वास्थ्य से है अतः इनका शिक्षित होना अत्यंत आवश्यक है। लेखिका का मानना है कि "बौद्धिक विकास के साथ स्त्रियों में स्वभावतः अपने अधिकारों और कर्तव्यों को फिर से जाँचने की इच्छा जागृत हो जाएगी।"[12] ये कुछ सामाजिक धारणाएँ जैसे *–स्त्रियों के बाहर कार्य करने से घर की मर्यादा नष्ट हो जाएगी* अथवा *आधुनिक शिक्षा प्राप्त स्त्रियाँ अच्छी गृहणियाँ नहीं बन सकतीं हैं,* को फालतू बताया है। उनका मानना है "जब तक हम अपने यहाँ गृहणियों को बाहर आकार इस क्षेत्र में कुछ करने की स्वतंत्रता नहीं देंगे, तब तक हमारी शिक्षा में व्याप्त विष बढ़ता ही जाएगा।..... स्त्री को बाहर कुछ भी कर सकने का अवकाश नहीं है और बाहर कार्य करने से घर की मर्यादा नष्ट हो जाएगी, इस पुरानी कहावत में विशेष तथ्य नहीं है और हो भी तो नवीन युग उसे स्वीकार न कर सकेगा।"[13]

महादेवी वर्मा स्त्रियों की शिक्षा तथा कार्य करने की स्वतंत्रता में पुरुषों का सहयोग चाहती हैं। उनका मानना है कि पुरुष चाहे तो घर के अंदर ही स्त्रियों को साहित्यिक पुस्तकें उपलब्ध करवा सकता है। जिसे पढ़कर स्त्रियों का बौद्धिक विकास संभव हो सके।

महादेवी वर्मा अपनी 'शृंखला की कड़ियाँ' पुस्तक में दहेज प्रथा तथा स्त्रियों का वस्तुकरण करने की प्रवृत्ति का खुलकर विरोध करती हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो 'शृंखला की कड़ियाँ' स्त्री विमर्श की एक मुकम्मल किताब है।

संदर्भ सूची

1.शृंखला की कड़ियाँ, महादेवी वर्मा, लोकभारतीप्रकाशन, नई दिल्ली, वर्ष- 2017(चतुर्थ संस्करण), पृष्ठ संख्या - 40-41

2.Sun, Qingqing. "Materialism, Self-Objectification, and Capitalization of Sexual Attractiveness Increase Young Chinese Women's Willingness to Consider Cosmetic Surgery." *Frontiers*, Frontiers, 1 Jan. 1AD, https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2018.02002/full.

3.Sen, Sumant. "17th Lok Sabha Has the Highest Proportion of Women." *Sumant Sen*, The Hindu, 7 Sept. 2021, www.thehindu.com/news/national/representation-of-women-in-17th-lok-sabha/article28769003.ece.

4.शृंखला की कड़ियाँ, महादेवी वर्मा, लोकभारती प्रकाशन, नई दिल्ली, वर्ष- 2017(चतुर्थ संस्करण), पृष्ठ संख्या - 51

5.शृंखला की कड़ियाँ, महादेवी वर्मा, लोकभारती प्रकाशन, नई दिल्ली, वर्ष- 2017(चतुर्थ संस्करण), पृष्ठ संख्या - 19

6.वही- पृष्ठ संख्या - 21

7.वही- पृष्ठ संख्या - 24-25

8.वही- पृष्ठ संख्या - 29

9. वही- पृष्ठ संख्या -30

10.वही- पृष्ठ संख्या - 35

11. Verma, Shivalika. "Widowhood In India". *Probono India*, 2022, https://www.probono-india.in/blog detail.php?id=172.

12. शृंखला की कड़ियाँ, महादेवी वर्मा, लोकभारती प्रकाशन, नई दिल्ली, वर्ष- 2017(चतुर्थ संस्करण), पृष्ठ संख्या -53-54

13. वही- पृष्ठ संख्या -57

———————

सितारे हिन्द, हिन्दी विभाग, तमिलनाडु केन्द्रीय विश्वविद्यालय में अतिथि प्राध्यापक के रूप में कार्यरत, ईमेल :sitareeflu@gmail.com, मो8978238235 : .